

फर्द अहकाम

ओमप्रकाश सेनी वगैरे बरनाम कल्याण वगैरे

आज्ञा विस्तृत रूप से

संख्या 144/2024

दिनांक

23.05.2024

विशेष विवरण

वकील वादीगण ने दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। पत्रावली दर्ज सजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 31.05.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नोटिस जारी
3052-59
24/5/24

31/5/24

पत्रावली के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष के प्रतिवादीगण को पेश करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। पत्रावली के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष के प्रतिवादीगण को पेश करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

4/7/24

पत्रावली के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष के प्रतिवादीगण को पेश करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। पत्रावली के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष के प्रतिवादीगण को पेश करने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

आज्ञा विस्तृत रूप से
नोटिस जारी
3052-59
24/5/24

आज्ञा विस्तृत रूप से
नोटिस जारी
3052-59
24/5/24

